निर्देशिका

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 (प्रावधान 3B के अन्तर्गत)

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS), अल्प (LIG) एवं मध्यम (MIG) आय वर्ग परिवार के व्यक्तियों को विकासकर्ता द्वारा लॉटरी द्वारा भूखण्डों का आवंटन

योजना का शुभारम्भः 30.05.2023	**रियासत इन्फ्राटेक डवलपर्स एल.एल.पी.** 603, ओके प्लस टॉवर, के0वी0–5 के पास, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	आवेदन की अन्तिम तिथिः 14.06.2023

योजना का नाम **"दा रिंग रेजिडेन्सी एक्सटेंशन"** ग्राम कैलाशपुरा उर्फ कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 – प्रावधान 3B के अन्तर्गत

आर्थिक दृष्टि से कमजोर, मध्यम एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी द्वारा आवंटन संबंधी सूचना

क्र.सं.	**विवरण**	**कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी**	**अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी**	**मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणी**
		भूखण्ड (वर्गमीटर)		
1	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2023/2555 (Website : rera.rajasthan.gov.in)		
2	योजना में लॉटरी हेतु उपलब्ध भूखण्डों की संख्या वर्ग वार	73	30	36
3	योजना में वर्ग–वार भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	34 से 45	56 से 74	81 से 118
4	आवंटन दर	23,920/– प्रति वर्गमीटर (20,000 प्रति वर्गगज)		
5	आवेदनकर्ता की सूची का प्रकाशन	16.06.2023		
6	आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाईट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	19.06.2023 से 20.06.2023		
7	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	22.06.2023		
8	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का वेबसाईट पर प्रकाशन करने की अवधि	24.06.2023		
9	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	27.06.2023, द्वितीय तल, कृष्णा टॉवर, पुष्प एनक्लेव के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर		

योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम एवं शर्ते इत्यादि वेबसाईट www.riyasatinfra.com पर देखी जा सकती है।

विकासकर्ता के हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 – 3बी

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग ई.डब्ल्यू.एस. (**EWS**), मध्यम वर्ग एम.आई.जी. (**MIG**) एवं अल्प आय वर्ग एल.आई.जी. (**LIG**) परिवारों के व्यक्तियों को विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की मॉडल निर्देशिका

1. योजना का विवरणः

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 – प्रावधान 3बी के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर, मध्यम एवं अल्प आय वर्ग इकाई का विकासकर्ता द्वारा आवास योजना **"दा रिंग रेजिडेन्सी एक्सटेंशन"** ग्राम कैलाशपुरा उर्फ कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में कुल 73 ई.डब्ल्यू.एस, 30 एल.आई.जी. एवं 36 एम.आई.जी. हेतु आरक्षित भूखण्ड के आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (**EWS**) श्रेणी	अल्पआय वर्ग (**LIG**) श्रेणी	मध्यम आय वर्ग (**MIG**) श्रेणी
		भूखण्ड (वर्गमीटर)		
1	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2023/2555 (Website : rera.rajasthan.gov.in)		
2	योजना में लॉटरी हेतु उपलब्ध भूखण्डों की संख्या वर्ग वार	73	30	36
3	योजना में वर्ग–वार भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	34 से 45	56 से 74	81 से 118
4	आवंटन दर	23,920/– प्रति वर्गमीटर (20,000 प्रति वर्गगज)		
5	आवेदन करने की अवधि	30.05.2023		
6	आवेदनकर्ता की सूची का प्रकाशन	16.06.2023		
7	आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाईट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	19.06.2023 से 20.06.2023		
8	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	22.06.2023		
9	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का वेबसाईट पर प्रकाशन करने की अवधि	24.06.2023		
10	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	27.06.2021, द्वितीय तल, कृष्णा टॉवर, पुष्प एनक्लेव के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर		
11	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता	रियासत इन्फ्राटेक डवलपर्स एल.एल.पी. पंजीकृत कार्यालय 603 ओके प्लस टॉवर, के.वी.–5 के पास, मानसरोवर, जयपुर		

12	कम्पनी वेबसाईट	**www.riyasatinfra.com**
13	संपर्क नं.	7976156820

सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र में विकासकर्ता द्वारा करवाया जावेगा।

2. आवेदन की प्रक्रियाः–

2.1 योजना में भूखण्डों के लिए आवेदन विकासकर्ता की वेबसाईट Trre.arustupvt.com के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे।

2.2 योजना में आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा ही स्वीकृत किये जायेंगे। डिमाण्ड ड्राफ्ट केवल आवेदक के स्वयं के खाते से ही स्वीकृत किये जायेंगे।

2.3 आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

2.4 ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन फार्म के साथ प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि के भुगतान के लिए रियासत इन्फ्राटेक डवलपर्स एल.एल.पी. के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ हमारे कार्यालय 608, ओके प्लस स्क्वायर, मध्यम मार्ग, मानसरोवर प्लाजा के पास, मानसरोवर, जयपुर पर आवेदन करने के दो दिवस में जमा करवाने होंगे।

3. आवंटन की प्रक्रियाः–

3.1 मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 के प्रोविजन 3बी– पात्र सफल आवेदकों को लॉटरी से भूखण्ड आवंटन का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षेत्रीय जोन उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा। विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटित इकाई का आवंटन–पत्र सीधे ही सफल आवंटी को जारी किया जाएगा।

3.2 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 20.02.2018 के स्वसंशोधित अधिसूचना दिनांक 07.09.2022 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से (10 प्रतिशत आरक्षित लिस्ट को शामिल करते हुए) लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात शेष आवासों का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।

3.3 राजस्थान रेरा प्राधिकरण में योजना का रेरा में पंजीयन करवाया जा चुका है।

3.4 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।

4. लॉटरी हेतु आवेदन करने की पात्रताः

4.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।

4.2 आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधारकार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नंबर अपडेट कराना होगा।

4.3 आवेदक स्वंय एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

4.4 जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में आवेदक ने आवंटन करवाकर इकाई का विक्रय कर दिया है तो आवेदन का पात्र नहीं होगा।

4.5 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.18(36)यूडीएच/एनएएचपी/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 के अनुसार कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.) एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) आवेदक की वार्षिक आय, भूखण्ड का क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई हैः–

क्र. सं.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी	मध्यमआय वर्ग (MIG) श्रेणी
		भूखण्ड (वर्गमीटर)		
	इकाई	–	–	–
1	योजना में लॉटरी हेतु उपलब्ध भूखण्डों की संख्या वर्ग वार	73	30	36
2	योजना में वर्ग–वार भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	34 से 45	56 से 74	81 से 118
3	(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आयु सीमा (रूपये)	3,00,000/–	3,00,001/– से 6,00,000/–	6,00,001/– से 12,00,000/–
	(ii) आवंटन दर	भूखण्ड आवंटन दर रू ...../– प्र.व.मी.		
	(iii) पंजीकरण राशि प्रति इकाई (राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी)	10,000/–	20,000/–	30,000/–

4.6 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2022–23 (01 अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोंतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

4.7 जो आवेदनकर्ता आयकर रिटर्न भरते है उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण में अंकित करना होगा।

4.8 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएगें।

4.9 योजनाओं में उपलब्ध भूखण्ड की संख्या में कमी/वृद्धि की सूचना विकासकर्ता/निजी खातेदार फार्म की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।

4.10 योजनाओं में आवेदन के लिए इकाईयों एवं भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नानुसार किया जावेगा। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)			अनारक्षित श्रेणी	ट्रांसजेण्डर
10%	6%	9%	5%	2%	10%			56%	2%
					शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)		

- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों में कार्यरत नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणीयों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत है उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिए आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अनु.जाति/अनु.जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नि/पुत्र व उस पर आश्रित से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार में केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- सैनिक कोटे में आरक्षित इकाईयों एवं भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होंगे।

- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई निर्मित इकाई अथवा भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होगें।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- सैनिक कोटे में आरक्षित निर्मित इकाई अथवा भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) के लिये आरक्षित इकाईयों अथवा भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिए सम्बन्धित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
  (अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो)
  (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)
  (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

5. आवेदन की सामान्य शर्तेः–

5.1 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो। संयुक्त नाम से बैंक खाता मान्य नहीं होगा।

5.2 लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में इकाई के लिए सफल होने पर उच्चत्तम (प्रथम) वरीयता वाले भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।

5.3 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगें।

5.4 योजनाओ में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। जिसकी सूचना विकासकर्ता की वेबसाईट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रो में प्रदर्शित की जावेगी।

5.5 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एव ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।

6. भूखण्ड का आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारित कारणों से निरस्त किया जा सकेगाः–

6.1 आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात लॉटरी से पूर्व आवेदन–पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि आवेदन निश्चित होने के पश्चात ही आवेदन किया जावे।

6.2 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगें तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेंगी।

6.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

6.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

6.5 आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.सी. कोड इत्यादि देने पर)।

6.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।

6.7 राजस्थान का मूल निवासी संबंधी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होने पर।

6.8 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.2015 एवं 12.08.2015 के अनुसरण में ई.डब्ल्यू. एस./एल.आई.जी./एम.आई.जी. भूखण्ड के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑन लाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण दिया जाना आवश्यक है।

6.9 लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच कम्पनी विकासकर्ता द्वारा की जावेगी। जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त कर आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा वापिस ले लिया जावेगा।

6.10 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि भूखण्ड आवंटन करवाने में सफल हो जाता है एवं आवंटन जारी होकर भूखण्ड की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता/उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।

6.11 सफल आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा भुगतान न किये जाने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। जमा राशि ब्याज निर्धारित रद्दकरण प्रभार (20 प्रतिशत) काटकर लौटाई जाएगी। भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने के मामले में राशि वापस प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत होंगें।

- मूल आवंटन/मांग पत्र।
- बैंक विवरण की प्रति।
- आवासीय पता परिवर्तन की स्थिति में आवास प्रमाण।

7. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रियाः

7.1 विकासकर्ता द्वारा निकाली जाने वाली लॉटरी में जोन उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है जो आवंटित प्रक्रिया में भाग लेंगे एवं लॉटरी में उपस्थित रहेंगे।

7.2 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को निम्नलिखित प्रमाणपत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के भीतर विकासकर्ता के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (वोटर आई.डी./आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी)
- आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)।
- सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2022–23 को प्रमाणपत्र (बिना कटौती के), (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए),

7.3 विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदको को मांगपत्र जारी किये जायेंगे। मांगपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में भूखण्ड की कीमत विकासकर्ता को जमा करवानी होगी।

7.4 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांगपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में निर्धारित माध्यम चैक/बैंकड्राफ्ट/NEFT/RTGS द्वारा विकासकर्ता के खाते में एक मुश्त जमा करानी होगी।

7.5 यदि पात्र आवेदक पैरा संख्या 6.4 की शर्तों को निर्धारित समयावधि पर पूर्ण नहीं करता है तो उसे असफल आवेदक माना जाएगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसीः

8.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड में NEFT/चैक/बैंकड्राफ्ट के माध्यम से आवेदकों को सम्पूर्ण पंजीकरण राशि ड्रॉ के तीन माह के अन्दर बिना ब्याज के विकासकर्ता द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।

9. अन्य महत्वपूर्ण शर्ते :

9.1 भूखण्ड 99 वर्ष/फ्री होल्ड की लीज पर आवंटित किए जावेंगें एवं लीजडीड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जावेगी।

9.2 आवंटित भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित भूखण्ड का आवंटन कम कब्जापत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।

9.3 जोन उपायुक्त द्वारा आवंटियों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जावेगा।

9.4 आवंटी को इकरारनामा/लीजडीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जावेगा। आवंटनकर्ता इकरारनामा/लीजडीड पंजीयन की शर्तो से बाध्य रहेगा।

9.5 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

9.6 राजस्थान सरकार नगरीय विकास के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित भूखण्ड का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नहीं किया जा सकता है अतः विकासकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नही किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर इकाई का कब्जा विकासकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।

9.7 आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेंगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नही करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा इस प्रावधान का उल्लधंन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होगें।

9.8 भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि मे भूखण्ड मे निवास अनिवार्य होगा अन्यथा विकासकर्ता राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियो को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।

9.9 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध भूखण्ड की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

<u>स्वप्रमाणित</u>

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री .....
..... आयु ..... निवासी .....
..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूं, कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी भी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूं।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूं, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे में पेश कर दूंगा/कर दूंगी।

(3) यह कि मैंने **सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/ अनु0जाति/अनु0 जनजाति/विकलांग/ अधिस्वीकृत पत्रकार)** में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूं। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

(4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता (IPC)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... जाति ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... की स्वयं पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रू0 ..... प्रतिवर्ष है एवं मेरा पैन नम्बर ..... है।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता (IPC)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण –पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... इस विभाग में ..... पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल वार्षिक आय रू0 ..... प्रतिवर्ष है।

दिनांक :
स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम